

**LIBRARY**

राजस्थान शास्त्रालय  
**ग्रंथालय**  
हरदीबाजार-जिला-कोरबा (छ.प्र.)

पुस्तकें  
पत्रिकाएँ  
सूचनाएँ  
संस्कृत  
हिन्दी  
उर्दू  
अंग्रेजी  
संस्कृत  
हिन्दी  
उर्दू  
अंग्रेजी

## ग्रंथालय के नियम

1. छात्र छात्राओं को पुस्तक प्राप्त करने हेतु ग्रंथालय में अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है। इसके लिए वे महाविद्यालय का परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र प्रस्तुत करेंगे।
2. ग्रंथपाल द्वारा समय-समय पर द्वापित सूचनाओं के आधार पर ग्रंथ प्राप्त करने की तिथि एवं समय निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रत्येक पाठक को दो पुस्तकें 7 दिनों के लिए दी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं पुस्तकों को पुनः निर्गत कर सकते हैं, यदि किसी अन्य पाठक ने मांग न की हो। कोई भी पुस्तक एक पाठक को अधिक से अधिक दो बार ही जा सकती है। प्रत्येक पाठक को एक पुस्तक के लिए एक कार्ड मिलेगा अर्थात् दो पुस्तकें एक साथ उपलब्ध होगी। एक पाठक पुस्तक से दूसरा सामान्य ग्रंथ।
3. कार्ड खो जाने की दशा में पाठक को चाहिए कि तुरंत ग्रंथपाल को सूचित करें अन्यथा पुस्तकालय किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. पुस्तक किसी भी छात्र एवं व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। ग्रंथ की सुरक्षा का दायित्व ग्रंथ ले जाने वाले छात्र के पर होगा। निर्धारित तिथि में ग्रंथ वापस न करने के कारण 25 पैसे प्रति पुस्तक प्रतिदिन अर्थदण्ड देना होगा। ग्रंथ के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर छात्र को उस ग्रंथ की नयी प्रति देनी होगी। अनुपलब्ध ग्रंथ का दार्द गुना मूल्य एवं प्रासंगिक व्यय की राशि 500 रु. देना करना होगा। किसी भी संदर्भ के ग्रंथ क्षतिग्रस्त होने या खण्ड विशेष के खो जाने पर सम्पूर्ण खण्ड ग्रंथालय में प्रस्तुत करना होगा। ग्रंथ के पृष्ठ को मोड़ना, रेखांकित करना निषिद्ध है। यदि ऐसा है, तो पुस्तक प्राप्त करते समय इस तथ्यों की सूचना ग्रंथपाल को देना आवश्यक होगा।
5. छात्र को ग्रंथ प्राप्त करते समय पृष्ठों की जांच कर लेना उचित होगा, क्योंकि ग्रंथ वापस करते समय पायी गई त्रुटियों का उत्तरदायित्व पुस्तक प्राप्त करने वाले छात्र पर होगा। किसी भी पृष्ठ के न होने की सूचना छात्र द्वारा तुरंत ही ग्रंथपाल को कर देना चाहिये, वरना इसकी जिम्मेदारी छात्र पर होगा।
6. संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र-पत्रिकाएँ ग्रंथालय के अध्ययन कक्ष में ही पढ़ी जा सकती हैं। बाहर जाने या खो जाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व संबंधित छात्र पर होगा तथा आर्थिक दण्ड देना होगा। पत्रिकाओं की प्रतियाँ एक समय में एक ही प्राप्त हो सकती हैं। पत्र-पत्रिकाओं को सर्वथा वर्जित है। उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड दिया जायेगा।
7. ग्रंथपाल आवश्यकता पड़ने पर पुस्तक को नियमित समय से पूर्व भी वापस मंगा सकते हैं।

## वाचनालय

ग्रंथालय में ही वाचनालय की व्यवस्था है। छात्रों के मानसिक विकास के लिए समाचार पत्र एवं अन्य पत्र-पत्रिकाएँ वाचनालय में उपलब्ध रहती हैं, जिनमें अवकाश के समय छात्र प्राप्त कर अध्ययन कर सकता है। जो छात्र वाचनालय में आता है, उसका यह कर्तव्य है कि वह व्यर्थ का शोर मचाने न करे, उसका यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उससे वहाँ उपस्थित अध्ययनशील छात्रों को कोई कठिनाई न हो।






# REAR BOOK















कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय  
हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

Email id-[gbvphardibazar@gmail.com](mailto:gbvphardibazar@gmail.com), विशिष्ट कोड-3109, Contact No. 9425227782

हरदीबाजार दिनांक 06/12/2016

// आवश्यक सूचना //

महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि ग्रंथालय में जनरल्स एवं संदर्भ पुस्तकें कय की जानी है . इस हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने-अपने विषय संबंधित दो-दो- (एक राष्ट्रीय एवं एक अंतरराष्ट्रीय) जनरल्स एवं तीस हजार मूल्य के विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें प्रकाशक एवं मूल्य की सम्पूर्ण जानकारी सहित सूची बनाकर दिनांक 12/12/2016 तक अनिवार्य रूप से ग्रंथालय विभाग में जमा करें ।



*(Handwritten Signature)*

डॉ. टी. डी. वैष्णव  
प्राचार्य

प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय  
हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

*(Handwritten Signature)*

शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय  
हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

**SAMPLE**

कायालय प्राचाय,शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय  
हरदीबाजार,जिला-कोरबा (छ.ग.)


E-mail id-gbyphardibazar@gmail.com, विशिष्ट कोड-3109, Contact No. 9425227782

हरदीबाजार दिनांक 10/08/2018

// आवश्यक सूचना //

महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि ग्रथालय में संदर्भ पुस्तकें कय की जानी है , इस हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने-अपने विषय से संबंधित पच्चीस हजार मूल्य के संदर्भ पुस्तकें प्रकाशक एवं मूल्य की सम्पूर्ण जानकारी सहित सूची बनाकर दिनांक 20/08/2018 तक अनिवार्य रूप से ग्रथालय विभाग में जमा करे ।



  
डॉ. टी. डी. वैष्णव

प्राचार्य



Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Haradibazar, Dist. Korba (C.G.)

SAMPLE

File No.-GD/201044/XII/14-15/CRO /233.

Date: .....

To

The Accounts Officer,  
Central Regional Office,  
University Grants Commission,  
Bhopal (M.P.)

30 MAR 2016

**Sub: Sanction of Adhoc grant under the scheme of Plan Block Grants (PBG) during XII Plan period.**

Sir/Madam,

I am directed to convey the sanction of the Commission for payment of Rs. 16,24,000/- (Rs. Sixteen Lakh and twenty four thousand Only) to Gramya Bharti Vidyapeeth, Hardi Bazar, Korba (Chhattisgarh) for the XII plan period as detailed below and is valid for payment by the account office of UGC during the financial year 2016-2017 only.

(In Rupees)

AMOUNT ALLOCATED Rs. 16,24,000/- (40%)		Grants released so far		Grant-being released now		Total grant rleased for XII plan	
Capital (80%)	GIA (20%)	Capital	GIA	Capital	GIA	Capital	GIA
Books & Journals & Equipments	Other Recurring Expenditure	Nil	Nil	1299200	324800	1299200	324800

2. \*The sanctioned amount is debatable to Head of Account as detailed below-

**Capital Assets (35)**

Amount sanctioned (Rs.)	For SC (Rs.) (15%)	For ST (Rs.) (7.5%)	For General (Rs.) (77.5%)
1299200	194880 2D (i)	97440 2D (ii)	1006880 2 (B)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com.

क्र. 289/175/आउशि/बजट/2020

रायपुर दिनांक 07.02.2020

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्य हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2019-20

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/बयो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03)

दिवि और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0102- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक /स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2019-20 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ० क्र. 290/175/आउशि/बजट/20

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक 07.02.2020

BUDGET SHAKHA BUDGET 2019-20



Principal  
Government College  
Raipur



प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्य हेतु आवंटन जारी करने यावत् वर्ष २०१९-२०

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ६८५/आउशि/ब.यो/०७ दिनांक १०.१२.०७ के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - ६४- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-२२०२- सामान्य शिक्षा- (०३) वि.वि. और उच्च शिक्षा- १०३- सरकारी कालेज एवं संस्थान - ०१०३- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (४६९९) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-११- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-००४- निःशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष २०१९-२० के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम ८ एवं १५ तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम ९ एवं १६ में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)


(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


पृ० क०. २५० / १७५ / आउशि / बजट / २०

प्रतिलिपि :-

१. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
२. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
३. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहायक संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक. ०७.०२.२०२०

  
सहायक संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2019-20\LELLEK



  
Principal

Govt. Gramya Jharati College  
Hard. B. Bar, Dist. Korba (C.G.)



amount By amount	amount By amount		amount			total amount By amount
	amount	amount	amount	amount	amount	
8	9	10	11	12	13	
2000	17000	0	0	0	0	
3700	22200	0	0	0	0	
16750	0	56	77	133	6850	
9950	0	0	39	39	1950	
8090	48300	4	1	5	250	
9900	0	3	10	13	650	
750	45000	0	0	0	0	
1400	8400	0	0	0	0	
8750	40500	1	1	2	100	
1600	9600	2	1	3	150	
13400	0	36	44	80	4000	
250	1500	0	0	0	0	
21900	0	68	68	132	6400	
7650	45900	0	25	25	1290	
8800	0	7	12	19	950	
14800	0	38	50	88	4300	
27600	0	57	69	117	5490	
3000	18000	4	2	6	300	
1600	9600	0	0	0	0	
3100	18600	0	0	0	0	
1600	9600	7	6	13	650	
850	5100	0	0	0	0	
2700	16200	0	0	0	0	
4350	26100	4	2	6	300	
1750	10500	0	0	0	0	
1600	11400	6	10	16	800	
1400	8400	0	13	13	650	
4650	27900	2	6	10	500	
1300	7800	0	0	0	0	
600	4800	0	0	0	0	
850	5100	0	0	0	0	
600	1200	0	0	0	0	

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - higher education.cg@gmail.com

क० 344 / 11.9 / आउशि / बजट / 19  
प्रति,

रायपुर दिनांक 11.2.19

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय,

छत्तीसगढ़

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बी.पी.एल. बुक बैंक योजना के तहत बजट आबंटन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्ष 2018-19 के लिये आपके महाविद्यालय को संलग्न सूची में महाविद्यालय के सम्मुख दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम तथा विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत बजट आबंटन कर बी.पी.एल. बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें कय करने की अनुमति दी जाती है।

सत्र 2018-19 के लिये संशोधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुये पुस्तकें कय की जावें। उक्त व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा, (03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें - 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना - 04- कार्यालय व्यय - 004- पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकायें आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

कृपया कार्यवाही के पश्चात राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लाभान्वित छात्रों की जानकारी भी कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*M. Shan*

संयुक्त संचालक (व्ही.)

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर

रायपुर दिनांक.....

पृ० क०..... / ..... / आउशि / बजट / 19

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर रायपुर।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, अटल नगर रायपुर।
4. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।  
.....की ओर सूचनार्थ।

*20/1*

संयुक्त संचालक (व्ही.)

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर



*[Signature]*

Principal

Govt. Granty. Chhatra College  
Hardwar, U.P. (C.G.)

8	शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाद	25000
9	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	25000
10	शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	25000
11	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	25000
12	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	25000
13	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	25000
14	शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	25000
15	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	25000
16	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लारमी	25000
17	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुंगेली	25000

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स 2263412, E-mail - highereducation.cg@gmail.com

क० 342/122/आउशि/बजट/19

रायपुर दिनांक. 08.02.19

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को  
निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2018-19


प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को  
निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक  
10.12.07 के द्वारा दिष्ट गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 64- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-2202-  
सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0103- अनुसूचित  
जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां,  
वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-004- निःशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय  
होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कालम 8 एवं 15 तथा  
पुस्तकों हेतु दर्शाये कालम 9 एवं 16 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन  
संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुगोदित)


  
संयुक्त संचालक (व्ही.)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक.....

पृ० क०. / / आउशि/बजट/19

प्रतिलिपि :-


1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
संयुक्त संचालक (व्ही.)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKTI\BUDGET 2018-19\FLEET.docx 165



  
Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. - Korba (C.G.)

167	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	34	18	52	2600	15600	2600
168	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	301	217	518	25900	155400	25900
169	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	0	202	202	10100	60600	10100
170	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	165	200	365	18250	109500	18250
171	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	169	174	343	17150	102900	17150
172	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	169	163	332	16600	99600	16600
173	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	179	174	353	17650	105900	17650
174	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	199	212	411	20550	123300	20550
175	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	55	54	109	5450	32700	5450
176	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	143	114	257	12850	77100	12850
177	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	131	145	276	13800	82800	13800
178	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	342	365	707	35350	212100	35350
179	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	127	187	314	15700	94200	15700
180	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	51	64	115	5750	34500	5750
181	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	22	9	31	1550	9300	1550
182	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	14	16	30	1500	9000	1500
183	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	18	22	40	2000	12000	2000
184	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	180	158	338	16900	101400	16900
185	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	0	186	186	9300	55800	9300
186	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	71	81	152	7600	45600	7600
187	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	73	81	154	7700	46200	7700
188	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	11	2	13	650	3900	650
189	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	17	16	33	1650	9900	1650
190	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	57	58	115	5750	34500	5750
191	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	13	27	40	2000	12000	2000
192	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	90	141	231	11550	69300	11550
193	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	4	1	5	250	1500	250
194	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	222	184	406	20300	121800	20300
195	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	0	150	150	7500	45000	7500
196	महाराष्ट्र मधील महाराष्ट्रचा जवळ	94	54	148	7400	44400	7400

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771-2263412 फैक्स 2263412 Email - higher\_education\_cg@yahoo.com

क्र. 340/122/आउशि/बजट/19

रायपुर दिनांक 28.11.19

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय

छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्य हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2018-19

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/व.या./07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41 - आदिवासी छात्रा उत्प्रेषण - 2018-19 - अनान्य विधि - (03) दि.दि और उच्च शिक्षा - 103 - शासकीय महाविद्यालय एवं महाविद्यालय - अनुसूचित जनजाति एवं उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों के पुस्तक, स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय - प्रावृत्तिय सुवृत्तिय एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2018-19 के अंतर्गत व्यवहृत होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (व्ही.)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक .....

पृ० क्र. / /आउशि/बजट/19

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- 2 आयुक्त, कंप. लेखा एवं वंशान संचालनालय, रायपुर।
- 3 संबंधित कार्यालय अधिकारी, छ.ग.।

व्ही आर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

संयुक्त संचालक (व्ही.)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D BUDGET SHAKHA/BUDGET FOR 19/LETTER JGS 166



*[Signature]*

Principal  
Govt. Gramya Bharali College  
Mandi Bazar, Distt - Korba (C.G.)

2018-19

प्राप्त			पति वाम 50	800	पति वाम
वाम	वाम	वाम	पति वाम 50 पति वाम 50 पति वाम 50	पति वाम पति वाम पति वाम	पति वाम पति वाम पति वाम
3	4	5	6	7	8
30	25	55	2750	16500	2750
0	54	54	2700	16200	2700
42	83	125	6250	37500	6250
14	17	31	1550	9300	1550
115	126	243	12150	72900	12150
48	58	107	5350	32100	5350
31	74	105	5250	31500	5250
45	79	124	6200	37200	6200
30	37	67	3350	20100	3350
31	20	51	2550	15300	2550
33	30	63	3150	18900	3150
10	18	28	1400	8400	1400
7	3	10	500	3000	500
16	22	38	1900	11400	1900
31	20	51	2550	15300	2550
0	1	1	50	300	50
216	239	455	22750	136500	22750
0	195	195	9750	58500	9750
256	355	611	30550	183300	30550
100	185	285	14250	85500	14250
142	176	318	15900	95400	15900
55	99	154	7700	46200	7700
107	187	294	14700	88200	14700
74	135	209	10450	62700	10450
152	335	487	24350	146100	24350
24	42	66	3300	19800	3300
306	346	652	32600	195600	32600
0	183	193	9650	57900	9650
124	79	203	10150	60900	10150

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412. फैक्स - 2263412. Email - che-higheredu.cg@gov.in

क0. 324 / 165 / आउशि / बजट / 17

रायपुर दिनांक. 14.12.2017

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2017-18


प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0102- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक / स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2017-18 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक.14.12.2017

पृ0 क0. 325 / 165 / आउशि / बजट / 17


प्रतिलिपि :-


1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2017-18\FLFR docx 154

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)



  
Principal

Govt. Gramya Bhabati College  
H.No. 3231, Q.No. 1, Koba (C.G.)



171	298	30250	181500	8900	53400	0	32	190	9600	0
164	301	14900	89400	30250	0	13	36	32	1600	76000
80	166	15050	90300	14900	0	16	15	49	2450	12800
109	164	8300	49800	15050	0	0	0	31	1560	19600
120	181	8200	49200	8300	49800	0	0	0	0	12400
323	498	9050	54300	8200	49200	1	1	2	0	0
275	523	24900	149400	9050	0	0	0	0	100	800
201	201	26150	156900	24900	0	31	93	124	0	0
57	161	10050	60300	26150	0	45	61	106	6200	49600
175	310	8050	48300	10050	60300	0	30	30	5300	42400
66	142	15500	93000	8050	48300	19	8	27	1500	12000
136	214	7100	42600	15500	0	33	40	73	1350	10800
136	234	10700	64200	7100	42600	6	11	17	3650	29200
27	50	11700	70200	10700	0	0	0	0	850	6800
60	129	2500	15000	11700	0	0	0	0	0	0
110	159	6450	38700	2500	15000	0	0	0	0	0
45	62	7950	47700	6450	38700	17	18	35	1750	14000
33	59	3100	18600	7950	47700	0	0	0	0	0
		2950	17700	3100	18600	0	0	0	0	0
				2950	17700	0	0	0	0	0

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - che-higheredu.cg@gov.in

क0. 326/165/आउशि/बजट/17

रायपुर दिनांक. 14.12.2017

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2017-18


प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 64- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थाये - 0103- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-004- निशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष 2017-18 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक. 14.12.2017

पृ0 क0. 327/165/आउशि/बजट/17


प्रतिलिपि :-


1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHIKSHA\BUDGET 2017-18\ELI FR docx 153



  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Raipur

पुस्तकी  
द्वारा  
समर्पित

संग्रहित

क्र.सं.	संग्रहित		
	पुस्तक	दस्तावेज	योग
9	10	11	12
84300	10	25	35
122400	27	34	61
27600	0	0	0
79800	29	23	52
76500	30	28	58
283200	61	75	136
80700	12	6	18
35100	0	0	0
6900	0	0	0
102900	48	57	105
51300	0	46	46
43200	6	4	10
44400	9	5	14
3900	0	0	0
9000	0	0	0
63900	0	1	1
7800	0	0	0
74100	31	52	83
109500	30	61	91
47100	0	32	32
42900	15	5	20
83700	45	41	86
160500	35	55	90
10500	0	0	0
6900	0	0	0
51900	0	0	0
6000	9	6	15
6600	0	0	0
13800	0	0	0
18300	0	0	0
3000	0	0	0
10200	10	3	13